आदेश

4/5/23 प्रस्तुत पत्र अनुपालनार्थ।

प्रस्तुत वाद का सारे प्रमाण से
नामान्तरण में उपस्थिति नहीं है और
न कोई आपत्ति दी गई है।
अभिलेख के अवलोकन से
एवं अंचल अधिकारी कर्मी
के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट
है कि आवेदक का नामान्तरण
निराकरण का कोई मामला
के नियमित [illegible]
अनुपालन में बाधक नहीं रखता
हो अतः आवेदक के आवेदन
को स्वीकृत की जाती है
एवं वाद की प्रक्रिया समाप्त की
जाती है।

(हस्ताक्षर) 4/5/23

Digitally signed by AJAY BHAGAT
Date: 2023.06.28 12:51:13 +05:30
Location: 192.168.1.43